

# न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या-25/2018-19

मो0 कुर्बान बनाम शैलेन्द्र प्रसाद सिंह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
09/8/18	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>इस वाद की कार्यवाही मो0 कुर्बान, पिता अहमद अली, साकिन-हारून नगर, सेक्टर नं0-1, फुलवारीशरीफ, जिला-पटना के दिनांक 03.05.2018 के आवेदन के आधार पर आरम्भ की गयी थी।</p> <p>आवेदक के द्वारा आवेदन में फुलवारीशरीफ अंचल अंतर्गत मौजा-मुर्गियाचक, तौजी नं0 5328, थाना नं0 59, खाता नं0 42, खेसरा नं0 97, रकवा 6डी0 के लिए विपक्षी के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।</p> <p>इस न्यायालय में दिनांक 10.05.2018 को वाद के संधारण के पश्चात पंजीकरण के बिन्दु पर सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि 30.05.2018, 30.06.18, 10.07.18, 14.07.18 एवं 19.07.18 को उपस्थित नहीं हुए।</p> <p>आवेदक के द्वारा आज इस आशय का एक आवेदन दिया गया है कि आवेदक के द्वारा इसी भूखण्ड से संबंधित विपक्षी की जमाबंदी रद्द करने हेतु जमाबंदी रद्द वाद सं0 31/2018-19 लाया गया है जिसे ग्रहण करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत किया जा चुका है। एक ही जमीन की जमाबंदी के संबंध में दो आवेदन दाखिल कर दिया गया है। आवेदक दिनांक 30.05.18 के आवेदन के आधार पर कायम वाद सं0 25/2018-19 को वापस लेना चाहते हैं।</p> <p>आवेदक के अनुरोध पर वाद सं0 25/2018-19 की कार्यवाही बन्द की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;">(वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना</p> <p style="text-align: center;">(वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना</p>	